

निर्णय बईजलास भवानी सिंह पालावत, आर०ए०एस०, अति०जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड

प्रकरण सख्या 54/17

दायरा- 08.11.17

राजस्थान सरकार जर्गे पुलिस अधीक्षक झालावाड

सायल

बनाम

रायसिंह आ० घांसीलाल जाति बंजारा निवासी हस्तिपुरा थाना सदर जिला झालावाड

गैर सायल

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :- श्री सोम्य परिहार वकील गैर सायल

-: आदेश :-

दिनांक :-02.05.2018

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक झालावाड की ओर से रायसिंह आ० घांसीलाल जाति बंजारा निवासी हस्तिपुरा थाना सदर जिला झालावाड के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन हेतु उनके पत्र संख्या 7730 दिनांक 31.10.17 द्वारा इस अन्वय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि गैर सायल के विरुद्ध थाना सदर में निम्न मुकदमें दर्ज है :-

क्र०स०	इस्तगासा पेश करने की दिनांक	धारा	प्रकरणों की स्थिति
1	100/16	13 आरपीजीओ	50 जुर्माना
2	71/17	13 आरपीजीओ	100 जुर्माना

जिनमें न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। इसके बावजूद भी वह अन्य अवैध कार्य एवं लडाई झगडा, मारपीट आदि आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त रहता है। गैर सायल की आम शोहरत यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दुःसाहस, है कि आमजन इसकी अपराधो की रिपोर्ट करने या इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते है इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नही हो रहे है। इसका स्वचछन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अतः गैर सायल के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को जर्गे नोटिस तलब किया गया। गैर सायल की ओर से वकील श्री सोम्य परिहार द्वारा अपनी बहस में अनुरोध किया कि गैर सायल अब शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहा है, इसलिये इस्तगासा खारिज फरमाकर गैर सायल को बरी किया जावे।

मैंने वकील गैर सायल की मौखिक बहस का मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। इस्तगासे में प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्यों के आधार पर राज०गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सन्तुष्ट होकर मैं गैर सायल को गुण्डा घोषित करता हूँ और निम्न आदेश पारित करता हूँ।

वसि० कलक्टर एवं
वसि० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड (रा०)

—: आदेश :-

रायसिंह आ0 घांसीलाल जाति बंजारा निवासी हस्तिपुरां थाना सदर जिला झालावाड को दिनांक 03.05.2018 से 7 दिन (सात दिवस) के लिए थाना सदर व जिला झालावाड की सीमाओ से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अवधि मे वह पुलिस थाना सुकेत जिला कोटा के थानाधिकारी को प्रति दिन थानाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होकर अपनी गतिविधियो की सूचना देता रहेगा। गैर सायल न तो कोई घातक हथियार अपने पास रखेगा और ना ही काम मे लेगा, ना किसी प्रकार के मादक द्रव्य मदिरा, अफीम, गाँजा, चरस, भांग आदि का या विस्फोटक या ज्वलन्शील वस्तु का कब्जा अपने पास रखेगा। किसी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, मेला हाट आदि के समीपस्थ दूरी के भीतर उपस्थित नही होगा। शान्ति बनाये रखने व सदाचारी बने रहने हेतु 10,000/-रु0 अक्षरे (दसहजार रूपये) के स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 02.05.2018 को खुले न्यायालय मे टंकित कराया जाकर, मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



(भवानी सिंह पालावत)
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़
(राज.)